

सूचना विवरणिका

उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018

(शैक्षणिक सत्र 2018–19 में ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में

उत्तराखण्ड राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा)



आयोजक

हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

123, गंगा विहार, हरिद्वार रोड, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135–2723321, 2528085

वेबसाईट : www.hnbmu.ac.in, ई–मेल : info.hnbmu@gmail.com

उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश
परीक्षा—२०१८ से सम्बन्धित विशेष तिथियाँ

1	ऑनलाईन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि	01.07.2018 (सायं 04:00 बजे) से 21.07.2018 मध्यरात्रि तक		
2	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र / ऑनलाईन शुल्क			
3	प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करने की तिथि	24.07.2018 को प्रातः 10:00 बजे से		
(पअ)	परीक्षा की तिथि	28.07.2018 (शनिवार)	10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक	ए०एन०एम०
			अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे तक	जी०एन०एम०

अनुक्रमणिका

क्र० स०	विवरण
1	प्रस्तावना
2	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के सन्दर्भ में नियम व शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश
3	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 में सम्मिलित होने हेतु अर्हतायें
4	आरक्षण सम्बन्धी नियम
5	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 परीक्षा का कार्यक्रम
6	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 परीक्षा केन्द्र
7	प्रवेश पत्र
8	अनुचित साधनों का प्रयोग
9	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के परीक्षाफल / मेरिट सूची की घोषणा
10	काउन्सिलिंग सम्बन्धी सूचना
11	उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के लिए उपलब्ध सीटों / कॉलेज का विवरण
12	प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम
13	न्याययिक विवाद
14	विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप एवं संगत शासनादेश

1. प्रस्तावना:- शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों (ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग) की राज्य कोटें की सीटों में प्रवेश हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा **उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018** का आयोजन दिनांक **28.07.2018** को देहरादून, श्रीनगर (गढ़वाल), नई टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा स्थित परीक्षा केन्द्रों में किया जायेगा।

उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 का आयोजन निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु किया जायेगा:-

- जी0एन0एम0 (General Nursing and Midwifery) (पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी)
- ए0एन0एम0 (Auxillary Nursing and Midwifery) (केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह होंगी)

उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों (ए0एन0एम0 एंव जी0एन0एम0 नर्सिंग) की राज्य कोटें की उपलब्ध सीटों में शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 की मैरिट के आधार पर काउन्सिलिंग के माध्यम से निर्धारित नियमानुसार सीट आवंटन किया जायेगा।

2. उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 के सन्दर्भ में नियम व शर्तें एवं महत्वपूर्ण निर्देश :-

- 2.1 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस सूचना विवरणिका का भली-भाँति अध्ययन कर लें आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण होना चाहिएं **सूचना विवरणिका** के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत **शासनादेश (आरक्षण संबंधी एवं अन्य)** एवं **मा0 न्यायालयों** द्वारा पारित आदेश मान्य होंगे।
- 2.2 आवेदन प्रक्रिया पूर्णतयः ऑनलाईन (online) होगी। इसमें सभी वांछित सूचनाएं त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। गलत अथवा अपूर्ण सूचना दिये जाने पर अभ्यर्थी स्वंय उत्तरदायी होगा तथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 2.3 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पत्राचार का पूरा पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल पता online आवेदन पत्र में दिये गये निश्चित स्थान पर पूर्ण एवं सही-सही भरें।
- 2.4 Online आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत एक मान्य फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्तिम शिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पूराना न हो) की स्वसत्यापित छायाप्रति अपलोड की जानी अनिवार्य होगी तथा केवल चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड/किसी अन्य विभाग में नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत नियमित कमियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति भी अपलोड की जानी अनिवार्य होगी।
- 2.5 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं पिछडे वर्गों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 1000.00 (रुपया एक हजार

मात्र) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रति पाठ्यक्रमवार रूपया 700.00 (रूपया सात सौ मात्र) निर्धारित की गई है। Online आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की प्रक्रिया का विश्वविद्यालय की वेबसाईट के पृथक लिंक “**How to Fill Online Form**” में विस्तृत विवरण उल्लिखित किया गया है। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व उक्त लिंक का अवश्य अध्ययन कर ले।

- 2.6** कॉउन्सिलिंग के समय सम्बन्धित वांछित प्रमाण-पत्रों (यथा शैक्षणिक/जाति/उपजाति/पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि) की स्वसत्यापित छायाप्रतियां कॉउन्सिलिंग बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर इस हेतु दिये गये लिंक पर **upload** करना अनिवार्य होगा।
- 2.7** अभ्यर्थी को आवेदन-पत्रों में उसके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 की प्रवेश परीक्षा में मांगी गई श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी, परन्तु काउन्सिलिंग के समय काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के नचसवंक किये गये प्रमाण-पत्रों का अवलोकन कर यह निर्धारित किया जाएगा कि वह उसके द्वारा आवेदित आरक्षित श्रेणी का लाभ दिये जाने हेतु पात्र है अथवा नहीं। इस विषय पर काउन्सिलिंग बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। केवल इस आधार पर कि उसे उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 में बैठने की अनुमति दे दी गयी थी, कोई भी अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ पाने का पात्र नहीं हो जाएगा।
- 2.8** यदि कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग बोर्ड के अवलोकनार्थ निर्धारित समय-सीमान्तर्गत वांछित अभिलेख अपलोड नहीं करता है, तो उसे उस काउन्सिलिंग में कथित लाभ अनुमन्य नहीं होगा। किन्तु यदि अगली काउन्सिलिंग होती है तो उस स्थिति में ऐसा अभ्यर्थी उस काउन्सिलिंग में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु उसे उस समय उपलब्ध सीटों में से ही निर्धारित नियमानुसार सीट आवंटन किया जायेगा।
- 2.9** एक बार आवेदन करने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन संबंधी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2.10** अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की printed copy अपने पास भविष्य में प्रयोग के लिये अवश्य रखें। भविष्य में पत्र-व्यवहार हेतु आवेदन-पत्र के क्रमांक का उल्लेख अवश्य करें।
- 2.11** ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) जो परीक्षा के समय दी जायेगी उसमें (Black) काले बॉल प्यांइन्ट पेन (Ball-point Pen) का ही प्रयोग करें।
- 2.12** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा आरम्भ होने से 45 मिनट पहले अवश्य ही परीक्षा कक्ष में आ जायें ताकि वे ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका (O.M.R. Answer Sheet) पर वांछित विवरण ठीक प्रकार से भर सकें। इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जायेगा।
- 2.13** किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् परीक्षा कक्ष से, परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 2.14** वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हकारी परीक्षा (Eligibility Examination) का परीक्षाफल किसी भी कारण से आनलाईन काउन्सिलिंग तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे किसी भी स्थिति में आवंटन/प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे। वे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं या अन्तिम परीक्षा परिणाम के लिये प्रतीक्षारत हैं वे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

- 2.15** मात्र उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०ए०८० एवं जी०एन०ए०८० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ में सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग कॉलेजों की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०ए०८० एवं जी०एन०ए०८० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियमों के काउन्सिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 2.16** अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०ए०८० एवं जी०एन०ए०८० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ के आवेदन पत्र में दी गयी कोई सूचना यदि गलत पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश पा लिया गया हो तो भी उसका प्रवेश तत्काल निरस्त माना जाएगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 2.17** वे अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये अर्ह नहीं हैं फिर भी सम्मिलित होते हैं वे किसी प्रकार के प्रवेश के दावेदार नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिये पात्रता की शर्तों को पहले से ही स्वयं सुनिश्चित कर लें।
- 2.18** ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसने उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०ए०८० एवं जी०एन०ए०८० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ की प्रवेश परीक्षा के लिये आवेदन किया है तथा किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो पाया हो उसका जमा परीक्षा शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही उसे अगले वर्षों के किसी भी उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०ए०८० एवं जी०एन०ए०८० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 2.19** पुरुष अभ्यर्थियों के बांये हाथ एवं महिला अभ्यर्थियों के दाये हाथ के अंगूठे के निशान निम्न अवसरों पर लिये जायेंगे।
(1) प्रवेश परीक्षा देते समय।
(2) संबंधित संस्थान में प्रवेश के समय।
- 2.20** परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त सभी सेटों की उत्तर कुंजी (Answer key) विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbamu.ac.in के माध्यम से परीक्षा उपरान्त अपलोड की जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी कतिपय प्रश्न/प्रश्नों के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कराई गई उत्तर कुंजी के सही उत्तर विकल्प/विकल्पों से संतुष्ट नहीं है और यदि प्रश्न के उत्तर को चुनौती देना चाहता है, तो उसे उत्तर कुंजी अपलोड करने के तीन दिन के भीतर प्रति प्रश्न रु० ५००.०० का बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, १२३ गंगा विहार, हरिद्वार रोड, देहरादून–२४८००१ के नाम देय हो, विश्वविद्यालय में मूलरूप में जमा कराना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पुनः परीक्षणोंपरान्त यदि अपलोड उत्तर कुंजी में वास्तव में उत्तर भिन्न है तो विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को उस प्रश्न की निर्धारित राशि अर्थात् रु० ५००.०० प्रति प्रश्न वापस लौटा दी जायेगी। और यदि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर कुंजी के अनुसार ही उत्तर सही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी।
- 2.21** यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट में उसके नाम के सम्मुख उल्लिखित अंक से संतुष्ट नहीं हो और वह इस हेतु शुल्क स्वरूप रु० १०००.०० का बैंक ड्राफ्ट जो कि वित्त नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, १२३ गंगा विहार, हरिद्वार रोड, देहरादून–२४८००१ के नाम देय हो, विश्वविद्यालय में मूलरूप में जमा करवाकर अपने ओ०ए०आर० का manual assessment करा सकता है। यदि संबंधित अभ्यर्थी के manual assessment में

विश्वविद्यालय स्तर से कोई त्रुटि प्रकाश में आती है तो इस पर सुधार हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित evaluation committee को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संदर्भित कर दिया जाएगा तथा evaluation committee की संस्तुति पर तदनुसार अद्यतन मेरिट सूची जारी की जायेगी और संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा पूर्व में जमा कराये गये ₹0 1000.00 की राशि लौटा दी जायेगी। यदि उस अभ्यर्थी का अंक परिणाम पूर्ववत् ही है तो संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी। उक्त हेतु अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की वेबसाईट में परिणाम घोषित हो जाने की तिथि से 05 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। उक्त समय—सीमा के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में कोई भी अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- 2.22 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 परीक्षा के दौरान कोई अभ्यर्थी अनैतिक तरीके को इस्तेमाल करते हुये पाया गया तो उसका अर्भ्यथन तत्काल निरस्त समझा जायेगा। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा न्यायिक प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।
- 2.23 आवेदन पत्र में लिखी या दी गई किसी भ्रामक गलत तथा तथ्यों से परे सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त (जैसी भी स्थिति हो) अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित नर्सिंग कालेज के प्राचार्य तथा इससे पूर्व परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था/विश्वविद्यालय अथवा काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- 2.24 परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्यूलर/मोबाइल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- 2.25 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 प्रवेश परीक्षा की सूचना विवरणिका में टंकित किसी भी सूचना/नियम/अर्हता/कार्यवाही में किसी भी अस्पस्ता की स्थिति में विश्वविद्यालय/ काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की गयी व्याख्या ही अन्तिम एवं सर्वमान्य होगी।
- 2.26 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 एवं काउन्सिलिंग सम्बन्धी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल एक वर्ष के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे।
- 2.27 नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इंडियन नर्सिंग काउन्सिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अद्यतन अर्हतायें मान्य/परिवर्तनीय होंगी।
- 2.28 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको सूचना विवरणिका (Brochure 2018) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हों।
- 2.29 उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के सम्बन्ध में अभ्यर्थी परीक्षा नियंत्रक, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 123, गंगा विहार, हरिद्वार रोड़, देहरादून—248001 के कार्यालय दूरभाष संख्या 0135—2723321 एवं 2528085 अथवा वेबसाईट पर दिये गये हैल्पलाईन नम्बर से किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

3. उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ में सम्मिलित होने हेतु अर्हताएं

उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–२०१८ में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताएं होगीं—

3.1 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

3.2 अभ्यर्थी चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ होना चाहिए।

3.3 आयु सीमा

• ए०एन०एम० हेतु परीक्षार्थी की आयु दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी आवश्यक है।

• जी०एन०एम० हेतु परीक्षार्थी की आयु दिनांक 31.12.2018 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी आवश्यक है। ए०एन०एम०/एल०एच०वी० हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

• समय—समय पर INC के मान्यतानुसार एवं उत्तराखण्ड शासन के द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मान्य होंगे।

3.4 ए०एन०एम० पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही अर्ह होगी तथा जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में पुरुष अभ्यर्थियों हेतु केवल 20 प्रतिशत सीटें ही आरक्षित होंगी।

3.5 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए निम्न अर्हताएं होगी :-

उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो,

अथवा

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी नहीं हैं तथा जिनके द्वारा हाईस्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो, परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह होंगे, परन्तु वे किसी आरक्षित सीट का दावा नहीं करेंगे,

अथवा

उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे स्थाई/मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाईस्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई एक अथवा दोनों परीक्षाएँ उत्तराखण्ड राज्य के बाहर स्थित मान्यता किसी प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो।

3.6 न्यूनतम शैक्षिक अर्हता

ए०एन०एम० हेतु:-

- ए०एन०एम० पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय (गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बॉयोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखाकंन, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) हैल्थ केयर साईन्स – केवल vocational stream में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए।

- एनोआईओएस० (National Institute of Open School) से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी, ए०एनोएम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

जी०एन०एम० हेतु:-

- जी०एन०एम० हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय(गणित, बॉयोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखाकंन, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र) के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हैल्थ केयर साईन्स – केवल **vocational stream** में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अथवा **AISSCE/CBSE/ ICSE/SSCE/HSCE** से या समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- जी०एन०एम० हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत औसत अंको के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय (भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीवविज्ञान विषयों में) के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए ।
- जी०एन०एम० हेतु 10+2 **vocational** ए०एन०एम० परीक्षा सी०बी०एस०ई० अथवा अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड एवं भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूल से 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे।
- एनोआईओएस० (National Institute of Open School) से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस अथवा हैल्थ केयर साईन्स – केवल **vocational stream** विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
- राज्य नर्सिंग परिषद में ए०एन०एम० के रूप में पंजीकृत हों।

3.7 अभ्यर्थी का प्रवेश वर्ष भर में केवल एक ही बार होगा।

3.8 भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशानुसार उपरोक्त जी०एन०एम० पाठ्यक्रम की अर्हकारी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्रतिशत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 5 प्रतिशत की छूट होगी।

3.9 उत्तराखण्ड प्री-ए०एन०एम० तथा जी०एन०एम० प्रवेश परीक्षा-2018 में बैठने वाले अभ्यर्थी जी०एन०एम० तथा ए०एन०एम० पाठ्यक्रमों में से केवल एक अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि अभ्यर्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन भरते समय ए०एन०एम० नर्सिंग अथवा जी०एन०एम० नर्सिंग अथवा दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, के बारे में वांछित सूचनायें देनी होंगी। साथ ही अपने परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिये गये विकल्पों के अनुरूप निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा (उदाहरण स्वरूप यदि कोई सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी यदि ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० दोनों परीक्षायें देना चाहता है तो उसे रुपया 1000.00 + 1000.00 मात्र रुपया 2000.00 शुल्क जमा कराना होगा)। दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही तिथि पर अलग-अलग समय पर आयोजित होगी यदि अभ्यर्थी दोनों पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन कर रहा है तो अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं हेतु एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरें।

- 3.10 यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार किसी पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हुआ हो, तो वह भी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है, परन्तु उसे काउंसिलिंग के समय सम्बन्धित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसका अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। यह प्राविधान/शर्त उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रमों में आवेदन करने हेतु लागू होगी।
- 3.11 ~~ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आई०एन०सी० द्वारा निर्धारित मानकानुसार दोनों पाठ्यक्रम के अलग—अलग प्रश्न पत्र होंगे तथा दोनों की परीक्षाएं भी पृथक—पृथक होंगी एवं दोनों पाठ्यक्रमों की वरीयता सूची भी पृथक—पृथक बनाई जाएगी।~~
- 3.12 ~~इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित अद्यतन अर्हताएं मान्य/परिवर्तनीय होंगी।~~

4. आरक्षण सम्बन्धी नियम

- 4.1 उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के माध्यम से उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रमों की राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।
- 4.2 अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- 4.3 **ओ०बी०सी०** जाति का प्रमाण पत्र आई०एन०सी०, नई दिल्ली द्वारा इस सत्र में प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक अथवा काउंसिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैद्य (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02 (ओ०बी०सी०)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ०बी०सी० जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही मान्य (valid) होता है। अतः ओ०बी०सी० श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैद्यता (validity) को भली—भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ०बी०सी० जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 4.4 उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 में उपरोक्तानुसार एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी० श्रेणी के उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें सम्बन्धित श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त रहने पर अतिंम (द्वितीय) चरण की काउंसिलिंग में निम्नानुसार परिवर्तित (convert) कर भरी जाएंगी।
- **शासनादेश संख्या 1070/XXVII(1)/2017-150/2005II Cover** दिनांक 25 अगस्त, 2017 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उर्ध्व आरक्षण के अन्तर्गत विकलांगों के लिये क्षैतिज के स्थान रिक्त रह जाते हैं तो यह सभी सामान्य वर्ग के विकलांगों के लिये आरक्षित होंगे शेष मामलों के अनुसूचित जनजाति, की रिक्त सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की रिक्त सीटे अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं तदन्तर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की रिक्त सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

- 4.5** राजकीय / निजी क्षेत्र में स्थित नर्सिंग कालेजों की उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों में आरक्षित सीटों का विवरण काउंसिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbamu.ac.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- 4.6** शासनादेश संख्या 291/XXVIII-4.2014.16/2014 दिनांक 04.03.2014 एवं शासनादेश संख्या 49/XXVIII;1)/2014.14 (नर्सिंग) / 2014 दिनांक 17.04.2014 के अनुसार उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 में सम्मिलित होने वाली, 12 वीं उत्तीर्ण, उत्तराखण्ड में कार्यरत अर्ह आशा कार्यकक्षियों को लिखित प्रवेश परीक्षा में 15 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा। इस हेतु आशा कार्यकक्षियों को सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार दर्शाई गई समस्त अहंताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा इन्हें ऑनलाईन आवेदन भरते समय चिकित्सा विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी अपलोड करनी अनिवार्य होगी। तभी संबंधित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।
- 4.7** उत्तराखण्ड में वर्तमान में कार्यरत आशा कार्यकक्षियों को ऑनलाईन आवेदन भरते समय उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आशा कार्यकक्षियों को लिखित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में 15 प्रतिशत अंक अधिमान के रूप में जोड़ते हुये परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।
- 4.8** राजकीय विभागों में सेवारत नियमित नर्सिंग क्रमियों के लिए किसी नर्सिंग पाठ्यक्रम विशेष में केवल आरक्षित नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों के अतिरिक्त, अनारक्षित सीटों में प्रवेश लेने हेतु अहंताएं सामान्य अभ्यर्थियों के समान ही होंगी। परन्तु इस हेतु इन सेवारत क्रमियों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में उन्हें सीट आवंटन की कार्यवाही हेतु अर्ह नहीं माना जाएगा।
- 4.9** शासनादेश संख्या 570 / कार्मिक-2 / 2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में 05 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को देय होगा।
- 4.10** प्रत्येक संस्थान में राज्य कोटे की उपलब्ध सीटों की पाँच प्रतिशत सीटें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगी। यह आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा। उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 में विकलांग अभ्यर्थियों की अहंता निर्धारित किये जाने के निम्नानुसार मानक होंगे।
- 5% Disability reservation to be considered with a disability of locomotor to the tune of 40% to 50% of the lower extremity and other eligibility criteria with regard to age and qualification will be same as prescribed for each nursing programme.
- उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु अभ्यर्थी को महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड द्वारा इस हेतु गठित विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाण पत्र उन्हें काउंसिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हें विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध सीट आवंटन की कार्यवाही हेतु अर्ह माना जाएगा।
 - अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत उसी सीमा तक मान्य होगा, जो इस हेतु समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के अनुसार अनुमन्य है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून के चन्द्र नगर, देहरादून स्थित कार्यालय में बैठेगा। उक्त मेडिकल बोर्ड के गठन संबंधी तिथि एवं समय की सूचना पृथक से कॉउन्सिलिंग हेतु जारी महत्वपूर्ण निर्देशों के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर कॉउन्सिलिंग के समय जारी की जाएगी।
- उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

अतः इच्छुक विकलांग अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उक्त श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड द्वारा गठित उक्त विशेष मेडिकल बोर्ड के सम्मुख कॉउन्सिलिंग के समय निर्धारित तिथि/समय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं इस प्रमाण पत्र को काउन्सिलिंग के दौरान ऑनलाईन आवेदन करते समय यथा स्थान अनिवार्य रूप से अपलोड भी करें।

5. उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा–2018 का कार्यक्रम :-

ए0एन0एम0

<u>दिनांक एवं दिन</u>	<u>समय</u>	<u>प्रश्न-पत्र</u>	<u>प्रश्नों की संख्या</u>
<u>28.07.2018</u> <u>शनिवार</u>	<u>प्रातः 10.00 बजे से</u> <u>मध्याह्न 12.00 बजे</u> <u>तक</u>	1. सामान्य भाषा (हिन्दी) 2. प्रारम्भिक गणित 3. सामान्य विज्ञान 4. सामान्य अध्ययन / सामान्य ज्ञान	<u>20</u> <u>20</u> <u>20</u> <u>40</u>

जी०एन०एम०

<u>दिनांक एवं दिन</u>	<u>समय</u>	<u>प्रश्न-पत्र</u>	<u>प्रश्नों की संख्या</u>
<u>28.07.2018</u> <u>शनिवार</u>	<u>दोपहर 02.00 बजे से</u> <u>दोपहर 04.00 बजे</u> <u>तक</u>	1. <u>सामान्य भाषा</u> <u>(हिन्दी)</u> 2. <u>सामान्य भाषा</u> <u>(अंग्रेजी)</u> 3. <u>प्रारम्भिक गणित</u> 4. <u>सामान्य विज्ञान</u> 5. <u>सामान्य अध्ययन / सामान्य ज्ञान</u>	<u>10</u> <u>10</u> <u>20</u> <u>30</u> <u>30</u>

- ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानकानुसार उपरोक्त विषयों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों ही पाठ्यक्रम के पृथक-पृथक प्रश्नपत्र होंगे।
- उत्तराखण्ड प्री-ए०एन०एम० तथा जी०एन०एम० प्रवेश परीक्षा-2018 में शासन की वर्तमान नीति के अनुसार चार विषयों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। जिसमें ए०एन०एम० हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारम्भिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे तथा जी०एन०एम० हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारम्भिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 30 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होंगे, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। यह प्रश्न-पत्र दो घंटे का होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और पूर्णांक अंक 100 होंगे।
- सभी विषयों के प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के (Objective Type) होंगे। प्रश्न-पत्र में 100 बहुविकल्पीय (a,b,c,d) प्रश्न होंगे जिनका एक ही सर्वउपयुक्त विकल्प होगा। प्रत्येक सही उत्तर के एक अंक प्राप्त होंगे तथा गलत/उत्तर नहीं देने पर/कई विकल्पों का एक साथ चयन करने पर शून्य अंक प्राप्त होगा।
- प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाये जायेंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी।
- उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा-2018 के परीक्षण मंडल द्वारा प्रश्न पत्रों के निर्धारित उत्तर व परीक्षाफल अंतिम रूप में मान्य होंगे। उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन केवल कम्प्यूटर द्वारा होगा और इसमें त्रुटि की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषेश परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिका का manual assessment उपरोक्त सूचना विवरणिका के बिन्दु संख्या 2.21 में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत सम्पादित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को परीक्षा उपरान्त प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी।

- परीक्षा कार्यक्रम अपरिवर्तनीय है, चाहे उपर्युक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश ही क्यों न घोषित हो जाए।
- परीक्षा स्थल पर कैलकुलेटर, लॉगटेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण (सेल्फ्युलर/मोबाईल फोन आदि) लाना वर्जित है।
- सभी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नियत समय से 45 मिनट पूर्व अपना स्थान अवश्य ही ग्रहण कर लें ताकि वे उत्तर-पुस्तिका में आवश्यक सूचना प्रश्न-पत्र शुरू होने से पूर्व भर सकें।
- प्रश्न-पत्र पर लगी हुई पेपर सील को तभी तोड़े जब कक्षा निरीक्षक द्वारा इसकी घोषणा की जाए।
- किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में एक से अधिक गोलों को भरने से गलत उत्तर माना जायेगा।
- उत्तराखण्ड प्री-ए०एन०एम० तथा जी०एन०एम० प्रवेष परीक्षा-2018 में बैठने वाले अभ्यर्थी जी०एन०एम० तथा ए०एन०एम० पाठ्यक्रमों में से केवल एक अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि अभ्यर्थी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए अर्हता रखते हों।

उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेष परीक्षा-2018 का आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों द्वारा ही भरा जाए जिनको विवरण पुस्तिका (Information Bulletin 2018) की समस्त शर्तें व नियम स्वीकार्य हो।

6. उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेष परीक्षा-2018 का परीक्षा केन्द्र :—

उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेष परीक्षा-2018 की लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :—

परीक्षा केन्द्र	परीक्षा केन्द्र कोड
देहरादून	1
श्रीनगर (गढ़वाल)	2
नई टिहरी	3
हल्द्वानी	4
पिथौरागढ़	5
अल्मोड़ा	6

प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक ही परीक्षा केन्द्र का विकल्प भरना होगा। एक बार चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अभ्यर्थी को अधिकार नहीं है। परन्तु विष्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार उक्त परीक्षा केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने/घटाने एवं अभ्यर्थी द्वारा चयन किये गये परीक्षा केन्द्र को बदलने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी को केवल नियत केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। एक बार आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्र को बदलने हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र (Admit Card) सभी अभ्यर्थी दिनांक 24.07.2018 अपराह्न 10:00 बजे से विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbamu.ac.in में से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने के समय साथ लेकर आये तथा अभ्यर्थी यह प्रवेश पत्र तब तक सुरक्षित रखें जब तक प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होकर संपन्न न हो जाए। साथ ही अभ्यर्थी online आवेदन करते समय अंकित किया गया मोबाइल नम्बर तथा पासवर्ड सम्पूर्ण परीक्षा पूर्ण होने तक सुरक्षित रखें। साथ ही प्रवेश परीक्षा देते समय परीक्षा केन्द्र में आनलाईन अपलोड किये गये फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति भी अनिवार्य रूप से साथ लायें।

8- अनुचित साधनों का प्रयोग (Unfair means)

प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर, चाहे उसका परिचयन परीक्षा के समय हुआ हो अथवा मूल्यांकन के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में, अभ्यर्थी की परीक्षा को बिना किसी लिखित सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय/विभाग/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

9. उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा

- 9.1 उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 का परीक्षाफल विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbamu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। साथ ही परीक्षाफल घोषित होने की सूचना भी प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत परीक्षाफल (स्कोर कार्ड) उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को पृथक से स्कोर कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर परीक्षाफल घोषित होने के बाद कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो आवश्यक संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbamu.ac.in में अपलोड किया जाएगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य समाचार पत्र परीक्षाफल अपने आप से प्रकाशित करता है एवं उसमें कोई गलतियां रह जाती हैं और वह समाचार पत्र इसका संशोधन प्रकाशित नहीं करता तो इसके लिए परीक्षा आयोजित कराने वाली विश्वविद्यालय अथवा उत्तराखण्ड सरकार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे व इसके आधार पर अभ्यर्थी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9.2 उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 की मेरिट के आधार पर सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं संस्थान का आवंटन राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्रवेश परीक्षा के प्राप्ताकां के आधार पर होगा। यदि एक से

अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का योग समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की जन्मतिथि के आधार पर मेरिट क्रम निर्धारित की जाएगी। इसके उपरांत भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो संबंधित अभ्यर्थियों के नामों की वर्णमाला के क्रम से मेरिट निर्धारित की जाएगी।

9.3 एन०एन०एम० नर्सिंग / जी०एन०एम० नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद (I.N.C) द्वारा निर्धारित मानक होंगे तथा दोनों ही पाठ्यक्रम के पृथक—पृथक प्रश्नपत्र होंगे। दोनों ही पाठ्यक्रम की पृथक—पृथक वरीयता सूची बनाई जाएगी।

10. काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचना

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं कालेज का आवंटन उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

- 10.1** विश्वविद्यालय का यह प्रयास है कि अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 की काउंसिलिंग प्रक्रिया online माध्यम से सम्पन्न कराई जाए। काउंसिलिंग की प्रक्रिया, तिथियाँ, समय एवं काउंसिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ / महत्वपूर्ण निदेश समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbamu.ac.in में पृथक से प्रकाशित की जाएंगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी।
- 10.2** उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को शासन द्वारा इस हेतु गठित काउंसिलिंग बोर्ड के द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 प्रवेश परीक्षा में उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्प एवं उस समय उपलब्ध सीटों के आधार पर निर्धारित नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- 10.3** केवल उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही अभ्यर्थी का राज्य कोटें की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन एवं प्रवेश उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हताओं एवं आरक्षण के नियम काउंसिलिंग की तिथि तक अद्यतन प्राविधानों/शर्तों के अन्तर्गत होगा।
- 10.4** उत्तराखण्ड प्री० ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 में उत्तीर्ण अर्ह अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित समय—सीमा में Online काउंसिलिंग धनराशि ₹० 800/- (रुपया एक हजार मात्र) Online के माध्यम से पंजीकरण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह माने जाएंगे। पंजीकरण शुल्क Non-Refundable होगा। अतः प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण से पूर्व सूचना विवरणिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अपनी अर्हता को सुनिश्चित कर लें। एक बार जमा किया गया काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

- 10.5** यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण की काउंसिलिंग में धनराशि ₹0 800/- देकर अपना पंजीकरण करवा चुका हैं और वह द्वितीय चरण काउंसिलिंग में भी सम्मिलित होना चाहता है तो उसे इस हेतु अलग से कोई पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कराना होगा।
- 10.6** काउंसिलिंग के विभिन्न चरणों तथा प्रतिभाग करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, नियम एवं शर्ते तथा अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण पृथक से वेबसाइट www.hnbumu.ac.in पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 10.7** उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 परीक्षा के माध्यम से कॉउंसिलिंग बोर्ड द्वारा किये गये आवंटन एवं सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिये गये प्रवेश प्रथम दृष्टया अस्थाई होंगे तथा उन्हें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 कॉउंसिलिंग बोर्ड/उत्तराखण्ड शासन के पास सुरक्षित होगा।
- 10.8** काउंसिलिंग सम्बन्धी सूचनाएँ समय—समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbumu.ac.in में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- 11.** उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 के लिए सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित नर्सिंग कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम तथा उपलब्ध राज्य कोटे की सीटों की संख्या

क्र.सं.	कालेज का नाम	पाठ्यक्रम	राज्य कोटे की सीटों की संख्या
1.	स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादूनं	जी0एन0एम0	50
2.	स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग, देहरादूनं	ए0एन0एम0	50
3.	बी0डी0 पाण्डे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नैनीतालं	जी0एन0एम0	30
4.	राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, रानीपोखरी, देहरादूनं	ए0एन0एम0	20
5	राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, खिरसू पौडी गढ़वालं	ए0एन0एम0	20
6	राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, गदरपुर, उ0 सिहंनगरं	ए0एन0एम0	20
7	राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, अल्मोड़ां	ए0एन0एम0	20
8	राजकीय महिला हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग सेन्टर, पिथौरागढ़ं	ए0एन0एम0	20
9	राजकीय स्कूल ऑफ नर्सिंग, रोशनाबाद, हरिद्वार	जी0एन0एम0	60
10	निजी नर्सिंग संस्थान	ए0एन0एम0 / जी0एन0एम0	50 प्रतिशत सीटें

इन सीटों की संख्या आई0एन0सी0/उत्तराखण्ड स्टेट नर्सिंग कॉउन्सिल/शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी तथा इन्हें काउन्सिलिंग के समय अधिसूचित किया जायेगा।

टिप्पणी :— राजकीय तथा निजी संस्थानों में सीटों की वास्तविक स्थिति आई0एन0सी0 द्वारा शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु अनुमोदित सीटों के आधार तथा उत्तराखण्ड स्टेट नर्सिंग कॉउन्सिल की संस्तुति पर काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समय निर्धारित की जायेगी।

- उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी नर्सिंग संस्थानों/सीटों की संख्या घट या बढ़ भी सकती हैं तथा नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया की कालेज विशेष के बारे में अधुनान्त निर्देशों पर भी निर्भर करेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य के पास प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) कमी, बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- उपरोक्त सीटों के विवरण में सामान्य सीटों की संख्या तथा विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुरूप उपरोक्त सभी शिक्षण संस्थानों में शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।
- उक्त संस्थाओं में प्रवेश का निर्णय काउन्सिलिंग की तिथि तक भारत सरकार/उत्तराखण्ड शासन/आई0एन0सी0/उत्तराखण्ड नर्सिंग काउन्सिल की अनुमति की स्थिति पर निर्भर करेगा।
- संस्थान विशेष की पाठ्यक्रमवार शुल्क तथा अन्य विवरण जैसे परीक्षा शुल्क, हॉस्टल फीस इत्यादि काउन्सिलिंग के समय विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराए जाएंगे उपरोक्त विषय में उत्तराखण्ड सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

12. प्रवेश उपरान्त जमा शुल्क वापसी के नियम:-

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कॉउन्सिलिंग में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ना चाहता हैं तो उसे द्वितीय कॉउन्सिलिंग से पूर्व सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से इसकी सूचना कॉउन्सिलिंग बोर्ड को देनी होगी। इस दशा में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम /द्वितीय चरण की कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त नियमानुसार पाठ्यक्रम/संस्थान परिवर्तित कर पूर्व आवंटित संस्थान में सीट छोड़कर निर्धारित तिथि के अन्दर दूसरे आवंटित संस्थान में प्रवेश ले लेता हैं तो इस दशा में ही उसे पूर्व आवंटित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि रु0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि संम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके

द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगीं यदि अभ्यर्थी द्वारा सीट परिवर्तित करने के उपरान्त निर्धारित समय के अन्दर सम्बन्धित संस्थान में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगीं

- यदि कोई अभ्यर्थी द्वितीय कॉउन्सिलिंग अथवा प्रतिक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही में उसे कॉउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित समय के अन्दर प्रवेश लेने के उपरान्त सीट छोड़ता हैं तो इस दशा में उसके द्वारा रिक्त की गयी सीट के विरुद्ध किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा सीट भरे जाने की स्थिति में ही उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से धनराशि ₹0 1000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान से वापस की जाएगीं इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगीं अन्यथा की दशा में उसके द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण शुल्क धनराशि जब्त कर ली जाएगीं

13. न्यायिक विवाद :—

उत्तराखण्ड प्री0 ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0 नर्सिंग प्रवेश परीक्षा—2018 परीक्षा एवं प्रवेश से सम्बन्धित कोई विवाद होने की दशा में उक्त विवाद केवल उत्तराखण्ड न्यायालय के अधीन होगें

=Disclaimer=

- Instances of provision of incorrect information detected at any stage of the selection process will automatically disqualify the candidate from the selection process and he/she will not be allowed to appear for **Uttarakhand Pre ANM and GNM Entrance Examination-2018** in future. If such instances go undetected during the current selection process but are detected in subsequent years, such disqualification will take place with retrospective effect and the Principal/Dean of the concerned college/ institute shall have the authority to cancel admission of the candidate and to proceed with legal action against him/her as all the information/documents furnished by the candidate will be scrutinized /verified by competent authorities, after admission in the concerned college/institute.
- The statement made in information bulletin and all information contained herein are believed to be correct at the time of publication /uploading in the website. However, the University/ Uttarakhand Government reserve the right to make any change without notice, changes and additions to the regulations/conditions governing the admission procedure, conduct of students, requirements for degree, fees and any other information, or statements contained in this information bulletin at any time. University/ Uttarakhand Government will not be responsible for hardship or expense incurred by the candidates or any other person or persons for such changes, additions, omissions or errors, no matter how they are caused.
- In case of any ambiguity in interpretation of any the instructions /terms /rules/criteria regarding counseling, the interpretation of the Counseling Board shall be final and binding.

विभिन्न प्रमाण पत्र एवं उनके प्रारूप

स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कु0 / श्रीमती..... पुत्र / सुपुत्री श्री.....
निवासी ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला...

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण अधिनियम 1993) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी(आश्रित)
पुत्र / पुत्री / पौत्र / अविवाहित पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... के आश्रित हैं।

स्थान:	हस्ताक्षर.....
दिनांक	पूरा नाम.....
	पद नाम.....
	मुहर.....
अभ्यार्थी के हस्ताक्षर.....	जिलाधिकारी (सील)

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए सूचना संकेतः—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु केवल यह पर्याप्त होगा कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री, पुत्र का पुत्र या पुत्र की अविवाहित पुत्री हो। ऐसे आश्रित का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर आर्थिक रूप से आश्रित होना आवश्यक नहीं होगा।

उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों हेतु उपरोक्त आश्रित के प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार ही प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई प्रारूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त प्रारूप ही मान्य होगा।

टिप्पणी:- केवल जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही उपरोक्त आरक्षण के लिए मान्य होगा।

उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए नर्सिंग 2018 हेतु प्रमाण-पत्र
का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री निवासी.....

.....ने भारतीय

जल/थल/वायु सेना की सक्रिय सेवा में थे तथा सेवा निवृत्त से पहले श्री

.....भारतीय..... (..... सेना युनिट)..... में नियुक्त थे।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पुत्र/पुत्री श्री

(भूतपूर्व सैनिक) के आश्रित है।

अभ्यर्थी का नाम

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर.....

निवासी.....

दिनांक

सक्षम अधिकारी
द्वारा प्रमाणित
फोटो

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

सक्षम अधिकारी का नाम.....

सक्षम अधिकारी का पद.....

सील

संख्या: ३१० / XVII-2 / 16-02(OBC) / 2012

प्रेषक:

डा० भूपिन्दर कौरा औलखा
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुगमग-२

विषय: अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि के सम्बन्ध मे शासनादेश सं-590 / XVII-2 / 12-05(OBC) / 2010 दिनांक 30 मई, 2012 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष मान्य होगी, व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अमर्याधिकारी के साक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जाने मे आ रही समस्याओं के दृष्टिगत द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्धों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी, की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवदेनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (नोटरी युक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी मे नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध मे उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि अब उसकी आय कितनी है।
- (ii) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक आय होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।
- (iii) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्ति किया गया है, तो ऐसी स्थिति मे यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्ति किया गया लाग लापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरुद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिमोदार अधिकारी/ कर्मचारी यदि हों, के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

AJAH III

Chaitra

(2)

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय प्रमाण-पत्र के वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का काष्ट करें।

भवदीया,

B

(डा० भूपिंदर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:- / XVII-2 / 16-02(OBC) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समरत जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड। (बायां टिकटाक)
9. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा रो।

(किशन नाथ)
अपर सचिव।